भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

0 1 C C 9 4 1 6 2 2

मुद्रांक शुल्क ... मुद्रांक शुल्क

से ... मुद्रांक शुल्क ... नहीं।

निबंधन पदाधिकारी

दानापुर

शुल्क भुगतान

	3760.00
6 क	54.00
5	
...	2.50
...	1.12
योग	3817.62

4413, 4414 ... 1-6-302

2353, 2354 ... 29-5-92

... भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 ... 26 (1) के ... 628 ... दिनांक 2/1/28 ... दिन को ... समाप्त हो चुके है।

अवर निबंधक

दानापुर

1.नाम लेख्यकारीः– **श्री राघवेन्द्र कुमार** पिता का नाम श्री नरेन्द्र कुमार निवास स्थान सिरिसिया टोला माटी थाना वो पंत्रालय रिविलगंज जिला सारण (छपरा)। भारतीय नागरिक।

भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1899 के अधीन ली गई मुद्रांक शुल्क 15750

पटना ... प्राधिकार ... अधिनियम 1976 के अधीन अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क ... 13125

योग 28880

निबंधन पदाधिकारी

दानापुर

5000Rs.

(2)

2.नाम लेख्यधारिणीः–	श्रीमती राम केशर देवी धर्मपत्नी श्री ब्रजेश्वर नाथ तिवारी निवास स्थान ग्राम बभनौली थाना आरा मुफ्फसिल पत्रालय रतनपुर जिला पटना भोजपुर भारतीय नागरिक।
	राघवेन्द्र कुमार 1-6-2002
3लेख्य प्रकारः–	निर्विवाद बिकय पत्र यानि केवाला वय ला कलामी (Deed of Absolute Sale)
4.मूल्यांकनं –	मो0 1,87,500/– एक लाख सतासी हजार पांच सौ रूपया मात्र
5.सम्पति का सम्पुर्णः– विवरण	मवाजी (3 कट्ठा) तीन कट्ठा एराजी परती आवासीय हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा मुस्तफापुर परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके है। जिसकी तौजी संख्या 5276 (पांच हजार दो सौ छिहत्तर) थाना संख्या 36 (छतीस) खाता संख्या 185 (एक सौ पचासी) सर्वे खसरा संख्या 44 (चौआलिस) का अंश भाग जिसकी सालाना मो0

1000Rs.

(3)

1/–रूपया 50 पैसा अलावे शेश बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर , पटना।

चौ ह द दी

उतरः–	पार्ट प्लौट न0 44 श्रीमती मधु वर्मा
दक्षिणः–	पार्ट प्लौट न0 44
पूरब–	पार्ट प्लौट न0 44
पश्चिमः–	सर्वे आहर

1000Rs.

(4)

यह कि उपरोक्त सम्पति की बिक्री हेतु लेख्यकारी ने शहरी सम्पति भुमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26 (1) के अन्तर्गत विहित प्रपत्र पर दिनांक 22–1–2002 ई0 को सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष सूचना दाखिल किये है जिसका कमांक 678 सन् 2002 ई0 है। जिसमे साठ दिनो से अधिक की अवधि समाप्त हो चूकी है। और आजतक उक्त सम्पति के अधिग्रहण या सुचना पत्र के अस्वीकृति की कोई सुचना लेख्यकारी को सरकार द्वारा नही दी गयी है। जिससे उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) के अन्तर्गत स्पस्ट है कि उपरोक्त सम्पति के हस्तांतरण करने मे सरकार को कोई आपति नही है।

1000Rs.

(5)

<u>संदर्भ</u>

हकियत यह है कि उपरोक्त खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति को लेख्यकारी ने बजरिय वशिका केवाला वय ला कलामी मरकुमा तारीख 7–1–1991 ई0 को नबिस्ते श्री कुमार सुरेन्द सिंह पिता का नाम श्री इन्द्रासन सिंह निवास स्थान कुर्जी बालू पर थाना दीघा पत्रालय सदाकत जिला पटना से वय खरीद किये थे। जिसका पुस्तक संख्या 1 निबंधन संख्या 127 सन् 1991 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आजतक लेख्यकारी उपरोक्त सम्पति पर बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति को अपने उपयोग वो उपभोग मे लाते रहे है वो हैं। वो लेख्यकारी का नाम बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 1228 सन् 1994–95 ई0 में दर्ज पाया गया है।

500Rs.

(6)

लेख्यकारी को तत्काल बनाने मकान वो खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतो के पुर्ति हेतु रूपयो की अत्यन्त आवश्यक्ता है और जब तक खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति की बिकी लेख्यकारी नहीं करते है। तब तक रूपयो का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारी ने बहैसियत सम्पति के मुल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पुर्ण लाभ हानि को भली भांति समझबुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर

100Rs.

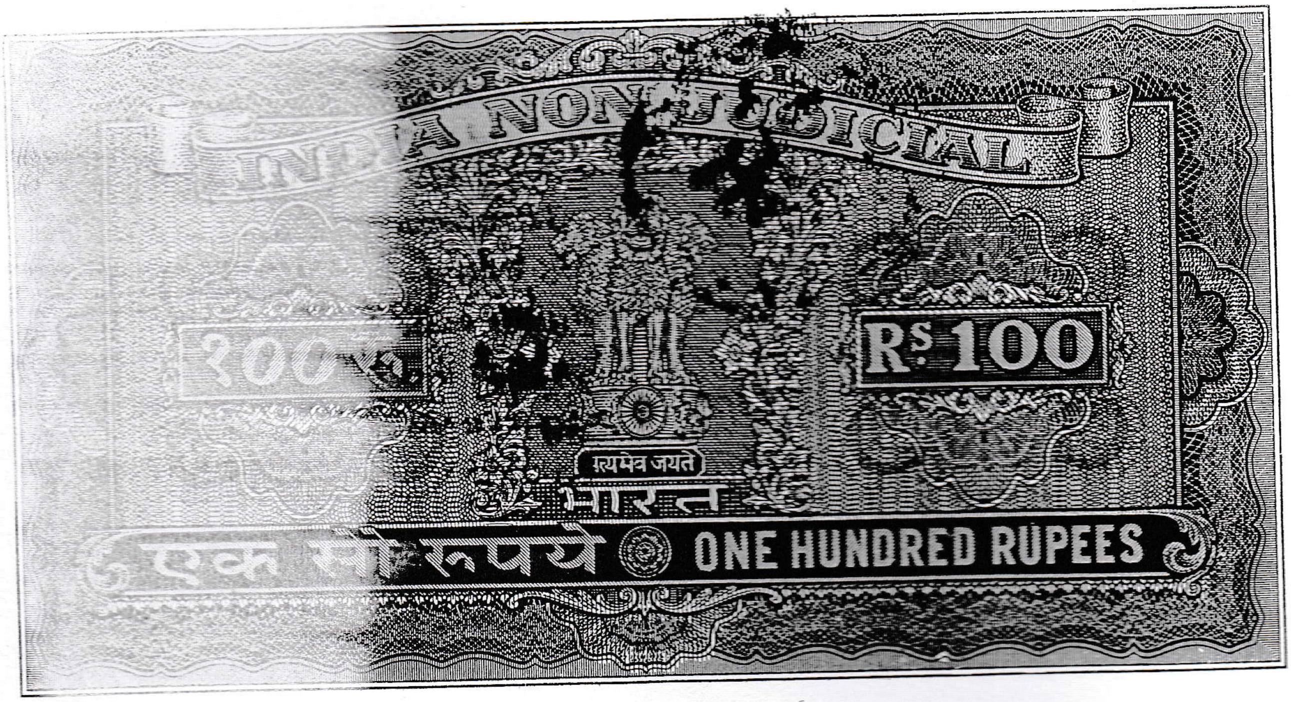

बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित मूल्य मो0 1,87,500/–(एक लाख सतासी हजार पांच सौ रूपये) मे बदस्त लेख्यधारिणी खाना न0 2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया। वो लेख्य निशपादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी ने इस तौर से वसुल वो वेवाक पाया कि मो0 50,000/–पचास हजार रूपया का भारतीय स्टेट बैंक खगौल शाखा का बैंक ड्राफ्ट न0 985479 दिनांक 17–1–2002 ई0 वो मो0 41,500/–एकतालिस हजार पांच सौ रूपया का भारतीय स्टेट बैंक राजवंशीनगर शाखा का बैंक ड्राफ्ट न0 525604 दिनांक

100Rs.

(8)

11–3–2002 ई0 वो मो0 45,000/–पैतालिस हजार रूपया का भारतीय स्टेट बैंक राजवंशीनगर शाखा का बैंक ड्राफ्ट न0 525605 दिनांक 11–3–2002 ई0 वो मो0 45,000/–पैतालिस हजार रूपया का राजवंशीनगर शाखा का बैंक ड्राफ्ट न0 515606 दिनांक 11–3–2002 ई0 वो मो0 6,000/–छव हजार रूपया नगद इस वशिका पर हस्ताक्षर के पुर्व ही क्रेता पक्ष से वसुल वो भुगतान पा चूके है। अब लेख्यकारी का एक रूपया भी क्रेता पक्ष के जिम्मे बाकी न रहा वो न कमी होगा ।

खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविश्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयो के बदले

100Rs.

हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविश्य मे प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें।उस वक्त लेख्यकारी या उनके उतराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उतराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा

50 Rs.

वमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिकेता) ने लेख्यधारिणी (केता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से मुक्त वो पाक साफ हैं। वो आज तक लेख्यकारी या उनके उतराधिकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्यके साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं कये हैं वो नहीं लिखें है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी

20 Rs.

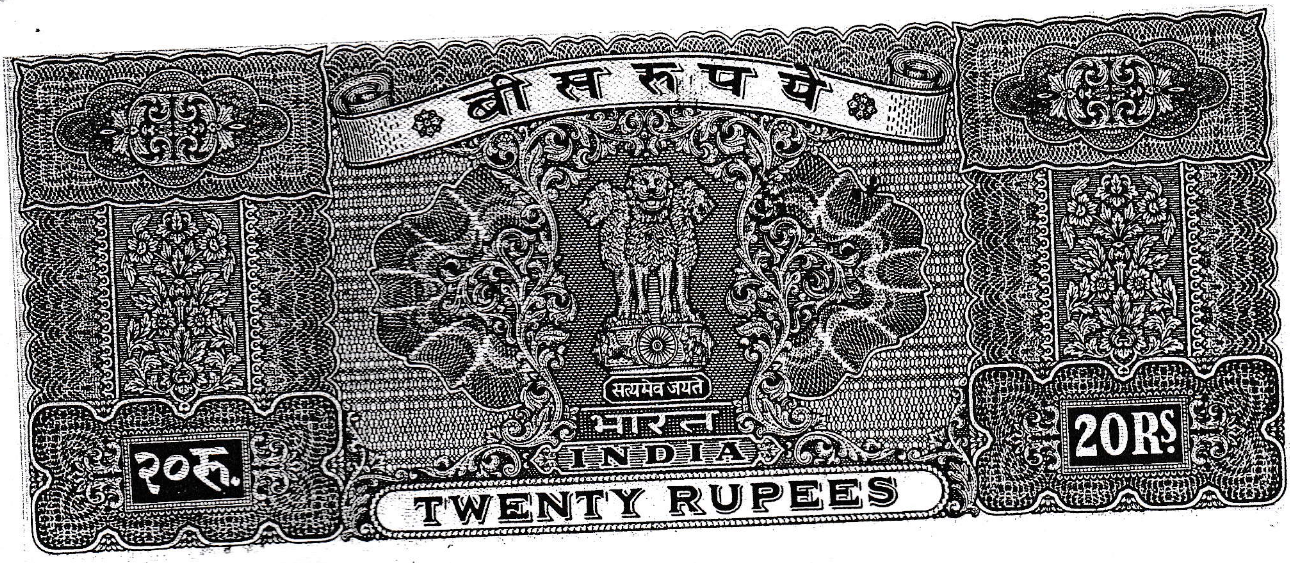

सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो ऋण भार उनको अदाय करना पडे उसे कानूनी सूद के साथ लेख्यकारी से या उनके उत्तराधिकारी के अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उतराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय लाकलामी लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । समाप्त।

10 Rs.

दस रुपये

१०रू. सत्यमेव जयते भारत INDIA 10Rs.

TEN RUPEES

(12)

प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति वो द्वितीय प्रति कुल बारह पृष्टो मे तैयार किया गया है जो एक दुसरे की सच्ची प्रतिलिपी है।

प्रारूपकर्ता **लेख्यकारी का हस्ताक्षर**

राघवेन्द्र कुमार 1-6-2002

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

....तक

पत्रक

...-पटना सन्

...का प्रकार दा० खा० वाद सं०...6350...............सन् 2016-17

...देश की ...० सं० एवं ...रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
13.3.17	श्री... ब्रजेश्वर नाथ तिवारी वो राजीव रंजन तिवारी वल्द स्व० रामचित्र तिवारी ग्राम प० पटेल नगर पो०............ थाना शास्त्री नगर...जिला...पटना..... केवाला नं० ....दिनांक.......... के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है । मौजा — मुस्तफापुर; थाना नं० — 36; खाता नं० — 185; खेसरा — 44; एराजी — 3 कट्ठा; लगान — 15.00 मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 7.4.17 को रखें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी दानापुर — अचल अधिकारी दानापुर	
...4.17	नोटिस का तामिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये है। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की स्वीकृत दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी दानापुर — अंचल अधिकारी दानापुर	

GOVT. OF BIHAR
Registration Excise & Prohibition Dept
PATNA SOURCE PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2017

भारत INDIA STAMP DUTY 00000 बिहार BIHAR JUDICIAL
Zero Zero Zero Zero Zero

Certified to be true Copy
26/5/17

मुस्तफापुर राजस्व थाना नम्बर 56 जिला - पटना

जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - [illegible]

रशमन - केबाला - तिथि -

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 1670
श्रीमती रामकेशर देवी जौ. ब्रजभूषण नाथ तिवारी सा. [illegible] थाना - [illegible] [illegible]	185	44	53 (डी.)	15 [illegible]	[illegible]
बचा हुआ रकबा					

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
1. [illegible] नाथ तिवारी 2. [illegible] तिवारी 3. [illegible] रंजन तिवारी [illegible] तिवारी [illegible] ब्रजभूषण नाथ तिवारी सा. [illegible] [illegible]	185	44	.53 [illegible]	18 [illegible]

Certified to be true Copy
26/5/17
Authorised ... Act of 1872

Sch. XIV—F. No. 180V. बि० ग० प्रेस, गया।

• रसीद मालगुजारी। करद मालकी/करद रैयती।

नाम सर्कल। नाम मौजा मय **V** नाम रैयत मय वल्दियत बमाखत्ती

थाना वो थाना नम्बर। वो सकूनत। नम्बर।

[illegible]	[illegible]	[illegible]

453399

4890

• अराजी नगदी — अराजी भावली — तफसील हिसाब लगान भावली।

[illegible]		[illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

जोत बाबत	सालाना	बकाया				हाल
२०११-१२		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल- } (नगदी) गुजारी } (भावली)	१५ १५					१५ १५
सेस ...	१५					१५
*सूद ...	१५					१५
मुतफरकात ...	१५					१५
मीजान	१५					१५

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया				मोतावला हाल।	फाजिल
२०११-१२	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- } (नकदी) गुजारी } (भावली)					१५ १५	
सेस ...					१५	
*सूद ...					१५	
मुतफरकात ...					१५	
मीजान अदायकारी					१५	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) — [illegible]

(२) नाम देहिन्दा —

(३) कुल बकाया — दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि०स०मु०

रसीद मालगुजारी नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर | ७ फरद मालकी / फरद रैयती। नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर। | 107 | 1690

कोईलवर	मुस्तफापुर 32	श्रीमती रामेश्वर देवी	0580536

अराजी नगदी | अराजी भावली - पति - तफसील हिसाब लगान भावली।

03 कट्ठा		पुजेश्वर नाथ तिवारी सा० - बभनौली थाना - आरा मुफसील, भोजपुर

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल

मांग बाबत 2016-2019	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
माल- (नकदी)	5.00				30.00	5.00
गुजारी (भावली)	5.00				30.00	5.00
सेस ...	5.00				30.00	5.00
*सुद ...	5.00				30.00	5.00
मुतफरकात ...	5.00				30.00	5.00
मीजान	25.00				150.00	25.00

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2016-2019	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल- (नकदी)				30.00	5.00	
गुजारी (भावली)				30.00	5.00	
सेस ...				30.00	5.00	
*सुद ...				30.00	5.00	
मुतफरकात ...				30.00	5.00	
मीजान अदायकारी				150.00	25.00	=175=00

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — एक सौ पचहत्तर रुपया मात्र

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु (राजस्व) 1–2011

9-7-19